रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928
No. 560] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 713(अ).–केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 523 में, -

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ख)(ख) "ब्रॉड बैंड संयोजन" से ऑलवेज-ऑन डाटा संयोजन अभिप्रेत है जो इंटरनेट पहुंच सहित पारस्परिक प्रभाव रखने वाली सेवाओं की सहायता करने के लिए समर्थ है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित न्यूनतम डाउनलोड गति की क्षमता रखता है ;';

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(घ) "पूंजी वसूली" से ऐसी अवधि में जिसके लिए निधि से सहायता उपलब्ध कराई

जाती है, आनुपातिक रूप से और वार्षिक रूप से परिकलित मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज और पूंजी लागत पर इक्विटी के संबंध में आय का योग अभिप्रेत है ;';

(ग) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

' (घक) " जिला" से भारत की 2001 की जनगणना में निश्चित किया गया राजस्व जिला अभिप्रेत है ;';

(घ) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

' (च) " अवसंरचना" से ऐसी आस्तियां अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की गई तार सेवाओं के लिए अपेक्षित हैं ;';

(ङ) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

' (चक) " मोबाइल सेवाओं" से वायरलैस दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गईं तार सेवाएं अभिप्रेत हैं जो उस समय उनका उपयोग सुनिश्चित करती हैं जब उक्त सेवा क्षेत्र में कहीं भी गतिशील हों ;';

(च) खंड (ज) का लोप किया जाएगा ;

(छ) खंड (झ) में,-

(i) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" स्पष्टीकरण 2.- जहां सहायता सामान्य अवसंरचना, 'मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था के लिए अवसंरचना और ब्रॉड बैंड संयोजन तक विस्तारित की जाती है वहां शुद्ध लागत प्रशासक द्वारा समय-समय पर यथाअवधारित पूंजी वसूली का प्रतिशत अभिप्रेत है ।";

(ज) खंड (ङ) में " बुनियादी" शब्द का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 525 के उपनियम (2) में,-

(क) खंड (i) के उपखंड (घ) और (ङ) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(iii) स्ट्रीम-3 - ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था के लिए अवसंरचना का सृजन :

(क) मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था के लिए अवसंरचना का गठन करने वाली आस्तियों केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएगी ।

(ख) मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था के लिए अवसंरचना हेतु पूंजी वसूली के प्रतिशत को शुद्ध लागत का अवधारण करने के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(iv) स्ट्रीम-4 - गांव के लिए क्रमबद्ध रीति से ब्रॉड बैंड संयोजन की व्यवस्था : ब्रॉड बैंड संयोजन के लिए अवसंरचना हेतु पूंजी वसूली के प्रतिशत को शुद्ध लागत का अवधारण करने के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(v) स्ट्रीम-5 - दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में साधारण अवसंरचना का सृजन :

(क) विकास के लिए की जाने वाली साधारण अवसंरचना की मदों का अवधारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा ।

(ख) साधारण अवसंरचना के विकास के लिए पूंजी वसूली के प्रतिशत को शुद्ध लागत का अवधारण करने के लिए गणना में लिया जाएगा ।

टिप्पण - जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, राजस्व जिले/राजस्व जिलों के समूह को स्ट्रीम 3, 4, 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए शुद्ध लागत निकालने के प्रयोजन हेतु एक यूनिट के रूप में लिया जाएगा ।

(vi) स्ट्रीम-6 - ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेक्टर में नई प्रोद्योगिकी के विकास को सम्मिलित करना : दूरसंचार सेक्टर में नई प्रोद्योगिकी विकासों को स्थापित करने के लिए अग्रणी परियोजनाओं को, जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समर्थन मिल सकता है ।" ।

4. उक्त नियमों के नियम 526 में "खंड (ii) की मद (क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, "और खंड (vi)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 526 में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

" स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "पात्र प्रचालकों" से बुनियादी सेवा प्रचालक, सेलूलर मोबाइल सेवा प्रदाता, एकीकृत अभिगम सेवा अनुज्ञप्तिधारक और अवसंरचना प्रदाता (आईपी-आई)या कोई ऐसी अन्य इकाइयां अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं ।" ।

[फा. सं. 30-1/2004-एलएफ]

शान्तनु कंसल, अपर सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम डाक और तार मेनुअल जिल्द 1, विधायी अधिनियमितियां, भाग 3, संस्करण में प्रकाशित किए गए हैं । तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए हैं :-

1. सा.का.नि.190, तारीख 18.2.1984
2. सा.का.नि.386(अ), तारीख 22.5.1984
3. सा.का.नि.387 (अ), तारीख 22.5.1984
4. सा.का.नि. 679, तारीख 30.6.1984
5. सा.का.नि. 428, तारीख 27.4.1985
6. सा.का.नि. 729, तारीख 3.8.1985
7. सा.का.नि. 982, तारीख 19.10. 1986
8. सा.का.नि. 553(अ), तारीख 27.3. 1986
9. सा.का.नि. 314, तारीख 26.4. 1986
10. सा.का.नि. 566, तारीख 26.7. 1986
11. सा.का.नि. 953(अ), तारीख 23.7. 1986
12. सा.का.नि. 1121(अ), तारीख 1.10. 1986
13. सा.का.नि. 1167(अ), तारीख 28.10.1986
14. सा.का.नि. 1237(अ), तारीख 28.11.1986
15. सा.का.नि. 49, तारीख17.1.1987
16. सा.का.नि. 112(अ), तारीख 25.2.1987
17. सा.का.नि. 377(अ), तारीख 9.4.1987
18. सा.का.नि. 674(अ), तारीख 27.7.1987
19. सा.का.नि. 719(अ), तारीख 18.8.1987
20. सा.का.नि. 837(अ), तारीख 5.10.1987
21. सा.का.नि. 989(अ), तारीख 17.12.1987
22. सा.का.नि. 337(अ), तारीख 11.3.1988
23. सा.का.नि. 361(अ), तारीख 21.3.1988
24. सा.का.नि. 626(अ), तारीख 17.5.1988
25. सा.का.नि. 660(अ), तारीख 31.5.1988
26. सा.का.नि. 693(अ), तारीख 10.6.1988
27. सा.का.नि. 734(अ), तारीख 24.6.1988
28. सा.का.नि. 606, तारीख 14.7.1988
29. सा.का.नि. 812(अ), तारीख 26.7.1988
30. सा.का.नि. 888(अ), तारीख 1.9.1988
31. सा.का.नि. 907(अ), तारीख 7.9.1988
32. सा.का.नि. 916(अ), तारीख 9.9.1988
33. सा.का.नि. 1054(अ), तारीख 2.11.1988
34. सा.का.नि.179, तारीख 18.3. 1989
35. सा.का.नि. 358(अ), तारीख 15.3.1989
36. सा.का.नि. 622(अ), तारीख 15.6.1989
37. सा.का.नि. 865(अ), तारीख 29.9.1989
38. सा.का.नि. 413(अ), तारीख 29.3.1990
39. सा.का.नि. 574(अ), तारीख 15.6.1990
40. सा.का.नि. 933(अ), तारीख 3.12.1990
41. सा.का.नि. 985(अ), तारीख 20.12.1990
42. सा.का.नि. 74(अ), तारीख 18.1.1991
43. सा.का.नि. 237(अ), तारीख 25.4.1991
44. सा.का.नि. 251(अ), तारीख 2.5.1991
45. सा.का.नि. 543(अ), तारीख 21.5.1992
46. सा.का.नि. 560(अ), तारीख 26.5. 1992
47. सा.का.नि. 587(अ), तारीख 10.6.1992
48. सा.का.नि. 730(अ), तारीख 19.8.1992
49. सा.का.नि. 830(अ), तारीख 28.10.1992
50. सा.का.नि. 62(अ), तारीख 11.2.1993
51. सा.का.नि. 80, तारीख 6.2.1993
52. सा.का.नि. 384(अ), तारीख 27.4.1993
53. सा.का.नि. 387(अ), तारीख 28.4.1993
54. सा.का.नि. 220(अ), तारीख 26.3.2004

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2006

G.S.R. 713(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules,1951 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in rule 523, —

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

' (b)(b) "Broadband Connectivity" means an always-on data connection that is able to support interactive services including internet access and has the capability of a minimum download speed as prescribed from time to time by the Central Government;';

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

' (d) "Capital Recovery" means the aggregate of depreciation, interest on debt and return on equity on the capital cost as worked out proportionately and annualized over the period for which support is provided from the Fund;';

(c) after clause (d) as so substituted, the following new clause shall be inserted, namely:—

' (d)(a) "District" means the revenue district as identified in Census of India 2001;';

(d) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

'(f) "Infrastructure" means such assets as required for Telegraph Services as determined by the Central Government from time to time;';

(e) after clause (f) as so substituted, the following new clause shall be inserted, namely:—

' (f)(a) "Mobile Services" means telegraph services provided by means of wireless telecommunication system which ensures use while in motion anywhere in the Service Area;';

(f) clause (h) shall be omitted.;

(g) in clause (i),—

(i) the Explanation shall be numbered as *Explanation 1* thereof;

(ii) after the *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

"*Explanation 2.*— Where support is extended towards general infrastructure, infrastructure for provision of mobile services and broadband connectivity, Net Cost shall mean a percentage of Capital Recovery, as determined by the Administrator from time to time.";

(h) in clause (m), the word "basic" shall be omitted.

3. In rule 525 of the said rules, in sub-rule (2),—

(a) in clause (i), sub-clauses (d) and (e) shall be omitted;

(b) after clause (ii) the following clauses shall be inserted, namely:—

"(iii) Stream-III - Creation of infrastructure for provision of Mobile Services in rural and remote areas:

(a) The assets constituting the infrastructure for provision of mobile services shall be determined by the Central Government from time to time.

(b) A percentage of the Capital Recovery for the infrastructure for provision of mobile services shall be taken into account to determine the Net Cost.

(iv) Stream-IV - Provision of Broadband connectivity to villages in a phased manner: A percentage of the Capital Recovery for the infrastructure for broadband connectivity shall be taken into account to determine the Net Cost.

(v) Stream-V - Creation of general infrastructure in rural and remote areas for development of telecommunication facilities:

(a) The items of general infrastructure to be taken up for development shall be determined by the Central Government from time to time.

(b) A percentage of the Capital Recovery for the development of general infrastructure shall be taken into account to determine the Net Cost.

Note.— Unless otherwise specified by the Central Government, the revenue district/ group of revenue districts shall be taken as a unit for the purpose of arriving at the Net Cost for the activities specified in Streams III, IV and V.

(vi) Stream-VI - Induction of new technological developments in the telecom sector in rural and remote areas: Pilot projects to establish new technological developments in the telecom sector, which can be deployed in the rural and remote areas, may be supported with the approval of the Central Government.".

4. In rule 526 of the said rules, after the words, brackets and letters "Direct Exchange Lines referred in item (a) of clause (ii)", the words, brackets and letters "and clause (vi)"shall be inserted.

5. In rule 526 of the said rules, for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, Namely:—

"*Explanation.*— For the purposes of this rule, "eligible operators" means the Basic Service Operators, Cellular Mobile Service Providers, Unified Access Services Licensees and Infrastructure Providers (IP-I) or any other entities as may be specified in this behalf by the Central Government from time to time.".

[F. No. 30-1/2004-LF]

SHANTANU CONSUL, Addl. Secy.

FOOT NOTE:— The principal rules have been published in the Post & Telegraph Manual Volume I. Legislative Enactments, Part II, Edition. These have subsequently been amended as under:-

1. GSR 190 dt. 18-2-1984
2. GSR 386 (E) dt. 22-5-1984
3. GSR 387 (E) dt. 22-5-1984
4. GSR 679 dt. 30-6-1984
5. GSR 428 dt. 27-4-1985
6. GSR 729 dt. 3-8-1985
7. GSR 982 dt. 19-10-1986
8. GSR 553 (E) dt. 27-3-1986
9. GSR 314 dt. 26-4-1986
10. GSR 566 dt. 26-7-1986
11. GSR 953 (E) dt. 23-7-1986
12. GSR 1121 (E) dt. 1-10-1986
13. GSR 1167 (E) dt. 28-10-1986
14. GSR 1237 (E) dt. 28-11-1986
15. GSR 49 dt. 17-1-1987
16. GSR 112 (E) dt. 25-2-1987
17. GSR 377 (E) dt. 9-4-1987
18. GSR 674 (E) dt. 27-7-1987
19. GSR 719 (E) 18-8-1987
20. GSR 837 (E) dt. 5-10-1987
21. GSR 989 (E) dt. 17-12-1987
22. GSR 337 (E) dt. 11-3-1988
23. GSR 361 (E) dt. 21-3-1988
24. GSR 626 (E) dt. 17-5-1988
25. GSR 660 (E) dt. 31-5-1988
26. GSR 693 (E) dt. 10-6-1988
27. GSR 734 (E) dt. 24-6-1988
28. GSR 606 dt. 14-7-1988
29. GSR 812 (E) dt. 26-7-198
30. GSR 888 (E) dt. 1-9-1988
31. GSR 907 (E) dt. 7-9-1988
32. GSR 916 (E) dt. 9-9-1988
33. GSR 1054 (E) dt. 2-11-1988
34. GSR 179 dt. 18-3-1989
35. GSR 358 (E) dt. 15-3-1989
36. GSR 622 (E) dt. 15-6-1989
37. GSR 865 (E) dt. 29-9-1989
38. GSR 413 (E) dt. 29-3-1990
39. GSR 574 (E) dt. 15-6-1990
40. GSR 933 (E) dt. 3-12-1990
41. GSR 985 (E) dt. 20-12-1990
42. GSR 74 (E) dt. 18-1-1991
43. GSR 237 (E) dt. 25-4-1991
44. GSR 251 (E) dt. 2-5-1991
45. GSR 543 (E) dt. 21-5-1992
46. GSR 560 (E) dt. 26-5-1992
47. GSR 587 (E) dt. 10-6-1992
48. GSR 730 (E) dt. 19-8-1992
49. GSR 830 (E) dt. 28-10-1992
50. GSR 62 (E) dt. 11-2-1993
51. GSR 80 dt. 6-2-1993
52. GSR 384 (E) dt. 27-4-1993
53. GSR 387 (E) dt. 28-4-1993
54. GSR 220(E) dt. 26-3-2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.